भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2530

04.08.2025 को उत्तर के लिए

गिरिडीह में कोयला खनन, स्पंज आयरन और इस्पात इकाइयों द्वारा पर्यावरण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन

2530. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को गिरिडीह में कोयला खनन, स्पंज आयरन और इस्पात इकाइयों द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संबंधी मानदंडों के उल्लंघन की जानकारी है, जिसमें गिरिडीह के आसपास दर्जनों स्पंज आयरन, फेरो-अलॉय और रोलिंग मिलों के कारण लगातार औद्योगिक वायु और जल प्रदूषण, धुआं, कालिख, धूल का उत्सर्जन और भूजल एवं नदियों का प्रदूषण शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार/सीपीसीबी द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रभावित समुदायों में वायु गुणवत्ता में गिरावट, स्थानीय नदियों और भूजल में जल प्रदूषण, श्वसन संबंधी बीमारियों, मृदा क्षरण या फसल क्षति के संबंध में कोई पर्यावरणीय या स्वास्थ्य प्रभाव संबंधी आंकलन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो प्रदूषण के स्तर, स्वास्थ्य आँकड़े और पारिस्थितिक प्रभावों सहित प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) गिरिडीह की औद्योगिक और खनन इकाइयों में पर्यावरणीय मानदंडों के प्रवर्तन को मजबूत करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और प्रभावित निवासियों को राहत या पुनर्वास प्रदान करने के लिए क्या लागू किए जा रहे अतिरिक्त उपायों का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): गिरिडीह जिले के गड़ी श्रीरामपुर, मोहनपुर, उदनाबाद, फुलची गाँवों में स्पंज लौह, विद्युत भट्टी और रोलिंग मिल प्रमुख उद्योग हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) इस राज्य की औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण करता है। वर्ष 2025 में, जेएसपीसीबी ने प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का आकलन करने के लिए 07 स्पंज लौह इकाइयों का निरीक्षण किया। 17 औद्योगिक इकाइयों को अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/सीएएक्यूएमएस डेटा/पर्यावरणीय आँकड़े प्रस्तुत करने संबंधी उल्लंघन के लिए पत्र जारी किए गए। गिरिडीह स्थित स्पंज आयरन उद्योगों ने रोटरी

भट्टी पर इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) उपकरण और अन्य धूल उत्सर्जन स्रोतों पर बैग फ़िल्टर लगाए हैं। स्थायी पानी के फव्वारे और पानी के टैंकर द्वारा नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। ये औद्योगिक इकाई ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) से युक्त हैं, जो जेएसपीसीबी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सर्वर से जुडी हुई है।

उद्योगों द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए पीएम10 विश्लेषक भी स्थापित किए गए हैं तथा ये विश्लेषक जेएसपीसीबी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सर्वर से जुड़े हुए हैं। अनुपालन न करने वाली इकाइयों को नियमित रूप से निदेश जारी किए जाते हैं। 'गिरिडीह जिला पर्यावरण समिति' अपनी बैठकों में नियमित रूप से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण कम करने के निदेश देती है। जनवरी से मार्च 2025 तक गिरिडीह के तिरंगा चौक के पास की गई परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट (आरएसपीएम, SO_2 और NO_x मापदंडों के संबंध में) से पता चलता है कि प्रदूषक सांद्रता निर्धारित मानकों के दायरे में है।

सरकार ने कोयला खनन, स्पंज लौह संयंत्र और इस्पात संयंत्र शुरू करने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण से संबंधित अनापत्ति (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में एक विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) का कार्य किया जाता है और सभी सुरक्षा उपायों के साथ एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तुत की जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति (ईएसी)/राज्य सरकार की राज्य पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा ईसी जारी करने से पहले ईआईए/ईएमपी पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाता है।

इसके अलावा, उपर्युक्त सभी इकाइयों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) से स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) और संचालन हेतु सहमति (सीटीओ) प्राप्त करनी होगी। इन पर्यावरणीय अनुज्ञा-पत्रों में पर्यावरण संरक्षण हेतु उपशमन संबंधी उपायों सहित सभी आवश्यक शर्तों को निर्धारित किया गया है।

इकाई परिसर के भीतर और उसके आसपास उचित पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने के लिए ईसी/सीटीओ/सीटीई की निर्धारित शर्तों और ईएमपी में प्रस्तावित उपशमन संबंधित उपायों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाता है। उपशमन उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं नियमों तथा ईसी की शर्तों में निर्धारित किए गए अनुसार, व्यापक पर्यावरणीय निगरानी तंत्र क्रियान्वित किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमित आधार पर विनियामक एजेंसियों को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-1 के अंतर्गत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक" अधिसूचित किए हैं।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कोयला खदानों के लिए पर्यावरण मानकों को सा.का.नि. 742(अ), दिनांक 25.9.2000 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- स्पंज लौह संयंत्र के लिए पर्यावरण मानकों को सा.का.नि. 414(अ) दिनांक 30.05.2008 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- लौह एवं इस्पात संयंत्र के लिए पर्यावरण मानकों को सा.का.नि. 277(अ) दिनांक 31.03.2012 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

पर्यावरण मानकों को एसपीसीबी द्वारा सहमति तंत्र और समय-समय पर निगरानी के माध्यम से लागू किया जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अत्यधिक प्रदूषणकारी 17 श्रेणियों के सभी उद्योगों (स्पंज लौह संयंत्रों और इस्पात संयंत्रों सहित) और सामान्य अपशिष्ट शोधन केंद्रों को निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण के स्तरों निरंतर निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निदेश दिया है। व्यापारिक बहिःस्राव और उत्सर्जन के पर्यावरण प्रदूषकों के ओसीईएमएस के माध्यम से जेनरेट किए गए रियल-टाइम मान 24x7 आधार पर संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी और सीपीसीबी को ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं। सीपीसीबी में आंकड़ों का प्रसंस्करण किया जाता है और यदि प्रदूषक मानदंडों का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक होता है, तो एक स्वचालित एसएमएस चेतावनी जारी होती है और औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजी जाती है, ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय और संबंधित एसपीसीबी/ पीसीसी/ सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

*****